

प्रेषक,

रमेश मिश्र
विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

जनपद— अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, औरैया, आजमगढ़, बदायूँ, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, हाथरस, जे०पी० नगर, कन्नौज, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर—खीरी, मैनपुरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सन्त कबीरनगर, सन्त रविदासनगर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, आगरा, इलाहाबाद, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बिजनौर, चंदौली, इटावा, फरुखाबाद, गोण्डा, जौनपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, महाराजगंज, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, वाराणसी, ललितपुर तथा महोबा।

संख्या 367 / एस०एल०एन०ए० / 2011-12 दिनांक 17 -02-2012

विषय:—समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्लू०एम०पी०) योजनान्तर्गत डब्लू०डी०टी० के सदस्यों को यात्रा भत्ता भुगतान हेतु दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के शासनादेश संख्या-1022/54-1-11-8(9)/ 2011 दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 एवं शासनादेश संख्या-237/54-1-11-8(9)/ 2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्लू०एम०पी०) के अन्तर्गत एस०एल०एन०ए० तथा डाटा सेल में कार्यरत कर्मचारियों को यात्रा भत्ता का भुगतान किये जाने हेतु दरों का निर्धारण किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा इस संबंध में यह निर्णय लिया है कि वाटरशेड डेवलपमेन्ट टीम (डब्लू०डी०टी०) के सदस्यों को उपरोक्त शासनादेश में निहित प्राविधानों के तहत स्वीकृत यात्रा भत्ता के दरों के अनुसार ही नियमानुसार यात्रा भत्ता भुगतान किया जाय।

भवदीय



(रमेश मिश्र)

विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी
अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ०प्र० शासन।

संख्या / 54-1-11-8(9)/2011 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ० सविता आनन्द, संयुक्त सचिव (डब्लू०एम०) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, सीजीओ काम्प्लेक्स, 11वाँ ब्लाक, छटा तल, नई दिल्ली।
2. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन, आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं संबंधित जनपद।
5. प्रशासक, शारदा सहायक/रामगंगा कमाण्ड, लखनऊ/कानपुर।
6. कृषि निदेशक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश।
7. संबंधित उपनिदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी को प्रशासक/कृषि निदेशक के माध्यम से प्रेषित।
8. प्रशासनिक अधिकारी, एस०एल०डी०सी० प्रभारी, 23-सी०, गोखलेमार्ग, लखनऊ को इस आशय से कि विभागीय वेबसाइट पर लोड कराना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल।

भवदीय

(रमेश मिश्र)

विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी
अधिकारी
स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी,
उ०प्र० शासन।